International Journal of Home Science 2019; 5(2): 406-408

ISSN: 2395-7476
IJHS 2019; 5(2): 406-408
© 2019 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 11-03-2019
Accepted: 12-04-2019

दिलीप कुमार ठाकुर
शोध–छात्र, विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान विभाग, ल.ना.मि.वि., दरभंगा, बिहार, भारत

डॉ. कन्हैया चौधरी
व्याख्याता, गृह विज्ञान विभाग, एम. आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, बिहार, भारत

Correspondence
दिलीप कुमार ठाकुर
शोध–छात्र, विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान विभाग, ल.ना.मि.वि., दरभंगा, बिहार, भारत

अनुसूचित जाति में लैंगिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में कन्या भ्रूण हत्या

दिलीप कुमार ठाकुर, डॉ. कन्हैया चौधरी

सारांश
किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य में उसकी भावी पीढ़ी का प्रारम्भिक सरोकार एक महिला से ही होता है। इसलिए इनका अच्छा निर्माण भी महिलाओं के हाथों में ही होता है। वैसे तो सदियों से ही हमारा देश नारियों की महता से अवगत रहा है। किन्तु यह घोर विडम्बना है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाएँ भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का पूर्ण प्रयोग कर अपनी स्थिति में बदलाव लाने में असमर्थ हैं। इसका मुख्य कारण महिलाओं का पर्याप्त शिक्षित न होना तथा आत्मनिर्भरता की कमी है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की एक रिर्पोट के अनुसार 100 लड़कियों में से सिर्फ 40 लड़कियाँ ही पाँचवी कक्षा तक पहुँचती हैं। यह स्थिति अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जातियों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण माता–पिता का अशिक्षित होना, आर्थिक स्थिति का खराब होना, छोटी उम्र में शादी होना तथा लैंगिक विभिन्नता का होना है। हमारे देश के सामाजिक व सांस्कृतिक रिति–रिवाजों में हर कदम पर लैंगिक असमानताएँ देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में लड़कियों की भूमिका को विवाह व मातृत्व तक ही सीमित कर दिया जाता है। परिवार की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने जीवन को अर्पित करने वाली महिलाओं की क्षमता का आज तक आंकलन नहीं हो पाया है। समाज के सामने यह एक बहुत बडी चुनौती हैं, क्योंकि वह अपनी सम्पूर्णता को तब तक ग्रहण नहीं कर सकेगा, जब तक कि दुनिया की आधी आबादी को उसके अधिकार, आजादी व सम्मान नहीं मिल जाता। हमारे समाज में कन्या भ्रूण–हत्या, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा और दहेज जैसी बुराइयों के होते लैंगिक समानता संभव नहीं है।

कूटशब्दः अनुसूचित जाति, लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या

प्रस्तावना
हमारे समाज में लैंगिक असमानता दुर्भाग्यपूर्ण हैं, प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक स्थितियों के कारण महिलाओं ने पुरूषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है और वो भी इस समय पितृसतात्मक व्यवस्था का अंग हैं।

प्राचीन काल में महिलाओं को बहुत सम्मान किया जाता था। परन्तु जैसे–जैसे समय बीतता गया महिलाओं की स्थिति में भीषण बदलाव आया। महिलाओं के प्रति लोगों की राय बदलने लगी थी। उन्हें पुरूषों से निम्न समझा जाने लगा। बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले उजागर होना एक आम बात बनने लगी थी। बिगड़ते हालातों को देखते हुए महान नेताओं तथा समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम करने की ठानी। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि महिलाओं की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाया जा सका।

वेदों के समय की बात की जाये तो उस वक्त महिलाओं का समाज में बहुत आदर सम्मान था। उन्हें सामाजिक रूप से, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से पुरूषों के समान माना जाता था। उन्हें अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार था। उनके विवाह से पहले उनकी शिक्षा पूरी हो जाये इस बात का खास ख्याल रखा जाता था। वेदों में तो यहां तक कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" पर समय बदलता गया और मध्यकालीन युग तक आते आते महिलाओं की दशा बेहद खराब होती चली गयी।

मध्यकालीन युग में भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज बन गया था और औरतों को मात्र पुरूषों की गुलाम समझा जाने लगा था। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे महिलाओं की छवि गिरती चली गयी और पुरूष उन पर अपनी इच्छा मनवाने का दबाव बनाने लगे थे। उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। यह पुरूष प्रधान समाज की ही सोच थी जिसमें बेटे से अपेक्षा की जाती थी, कि वह

परिवार के लिए पैसा कमाएगा, समाज में उनका नाम ऊँचा करेगा वहीं बेटी का जन्म परिवार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था।

नये समय के आगमन के साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव होने लगा। समाज में होते सकारात्मक परिवर्तन से महिलाओं की दशा भी सुधरने लगी। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से बहुत खराब थी। प्राचीन काल में महिला को देवी का दर्जा देने के बाद भी उनकी हालत किसी राजा–महाराजा की दासी के समान थी।

सैद्धान्तिक रूप से भले ही अनुसूचित जाति की महिला को समाज में ऊँचा स्थान दिया गया था पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो यह मात्र एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ न था। महिलाओं को सामाजिक स्तर पर कार्य करने की मनाही थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनकी राय लेना जरूरी नहीं माना जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान तो हालात और भी खराब थे। महिलाओं को सती प्रथा और पर्दे में रहने जैसे बंधनों में बंधकर रहना पड़ता था।

मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज में भी हालात नहीं सुधरे थे बल्कि उसके बाद तो व्यवस्था और भी बिगड़ गयी थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया और महिलाओं से आह्वाहन किया कि वे भी आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लें। इसके बाद ही सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और अरूणा आसिफ अली जैसी महान नारियों का उदय हुआ जिन्होंने खुद महिलाओं की दशा सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पिछले हजारों वर्षों में समाज के अन्दर महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। अगर गुजरे चालीस–पचास सालों को ही देखें तो हमें पता चलता है कि महिलाओं को पुरूषों के बराबर हक मिले इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। पहले के जमाने में महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर सख्त पाबन्दी थी। अगर हम वेदों का अध्ययन करें तो उसमें हमें यह साफ देखने को मिलता है की उस वक्त की औरतों को अपनी शिक्षा पूरी करने की छुट थी तथा उनका विवाह भी उनकी रजामंदी से होता था। गार्गी और मैत्रेयी नाम की दो महिला संतों का उदाहरण श्रृग्वेद और उपनिषदों में दिया हुआ है। आज के समय की बात की जाये तो महिलाएँ हर क्षेत्र (जैसे–राजनीति, सामाजिक कार्य, तकनीकि विभाग, खेल कूद आदि) में अपना योगदान बिना किसी डर के दे रही हैं। महिलाएँ हर जगह नेतृत्व करती दिख रही हैं। हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि महिलाएँ अब अपने अधिकारों के लिए और भी अधिक जागरूक हो गयी हैं।

भारत के आजाद होने के बाद अनुसूचित जाति के महिलाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब पुरूषों के समान अधिकार मिलने लगे हैं। आजादी के बाद बने भारत के संविधान में महिलाओं को वे सब लाभ, अधिकार व काम करने की स्वतंत्रता दी गयी हैं। वर्षों से अपने साथ होते बुरे सलूक के बावजूद महिलाएँ आज अपने आप को सामाजिक बेड़ियों से मुक्त पाकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास से अपने परिवार, समाज तथा देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं।

हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएँ करती हैं। इसका मतलब देश की उन्नति का आधा भार महिलाओं पर और आधा पुरूषों के कंधे पर निर्भर करता है। आज महिलाएँ एक सफल समाज सुधारक, उद्यमी, प्रशासनिक सेवक, राजनायिक आदि हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गये हैं पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। देश में छोटी बच्चियों के खिलाफ भेद भाव और लैंगिक असमानता की ओर ध्यान दिलाने के लिए बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ नाम से प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी द्वारा एक सरकारी सामाजिक योजना की शुरूआत की गयी है। हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015, को प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरूआत की गयी है। देश में लड़कियों के बुरे आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई। ये बेहद प्रभावकारी योजना है जिसके तहत लड़कियों की संख्या में सुधार, शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास आदि का लक्ष्य पूरे देश भर में है। इसे सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागु करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के द्वारा देश के 100 चुनिंदा शहरों में इस योजना को लागु किया गया है। इसमें कुछ सकारात्मक पहलू ये है कि ये योजना लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध और गलत प्रथाओं को हटाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में साबित होगी। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सामाजिक–आर्थिक कारणों की वजह से किसी भी लड़की को गर्भ में नहीं मारा जायेगा, अशिक्षित नहीं रहेगी, असुरक्षित नहीं रहेगी, बलात्कार नहीं होगा आदि। अतः पूरे देश में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के द्वारा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से स्वतंत्र बनाने का है। ये योजना समाज में लड़कियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए है। कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह समाप्त करने के द्वारा लड़कियों के जीवन को बचाने के लिए आम लोगों के बीच ये जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी तथा इसमें एक लड़के की भांति ही एक लड़की के जन्म पर खुशी मनाने और उसे पूरी जिम्मेदारी से शिक्षित करने के लिए कहा गया है।

इस योजना की जरूरत 2001 के जनगणना के आँकड़ों के अनुसार हुई, जिसके तहत हमारे देश में 0 से 6 साल के बीच का लिंगानुपात हर 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों का था। इसके बाद इसमें 2011 में और गिरावट देखी गयी तथा अब आँकड़ा 1000 लड़कों पर 918 लड़कियों तक पहुंच चुका था। 2012 में यूनिसेफ द्वारा पूरे विश्वभर में 195 देशों में भारत का स्थान 41वां था इसी वजह से भारत में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता जरूरी हो गयी। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से मिटाने के लिए लोगों से आह्वान करती है। भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बहुत क्रूर हो चुकी है। ऐसे लोगों का मानना है कि लड़कियाँ पहले परिवार के लिए बोझ होती हैं और फिर पति के लिए तथा ये सिर्फ लेने के लिए होती हैं देने के लिए नहीं। हालांकि ये सच नहीं है, दुनिया की आधी जनसंख्या लगभग महिलाओं की है इसिलिए वो धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिये जिम्मेदार होती हैं। लड़कियों या महिलाओं को कम महत्ता देने से धरती पर मानव समाज खतरे में पड़ सकता है क्योंकि अगर महिलाएँ नहीं तो जन्म नहीं। लगातार प्रति लड़कों पर गिरते लड़कियों का अनुपात इस मुद्दे की चिंता को साफतौर पर दिखाता है।

इसलिए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने के साथ, छोटी बच्ची की सुरक्षा को पक्का करना, लड़कियों को बचाना, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएँ कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वैश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होती हैं। महिलाओं को न केवल असमान वेतन या अधिक कार्य कराया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियाँ पेश की जाती हैं जिनका वेतनमान बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।

लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिए, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। ये प्रदर्शित करता है कि 12वीं कक्षा के बाद माता–पिता लड़कियों को शिक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं करते जिससे कि वो नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं।

सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, परिवार, खाने की आदतों के मामले में भी, वो केवल लड़का ही होता है जिसे सभी प्रकार का पौष्टिक और स्वादिष्ट पसंदीदा भोजन प्राप्त होता है, जबकि लड़की को वो सभी चीजें खाने को मिलती हैं जो परिवार के पुरूष खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं जो दोनों ही रूपों, गुणवत्ता और पौष्टिकता में बहुत घटिया किस्म का होता है और यही बाद के वर्षों में उसकी खराब सेहत का प्रमुख कारण बनता है। महिलाओं में रक्त की कमी के कारण होने वाली बीमारी एनिमिया (अरक्तता) और बच्चों को जन्म देने के समय होने वाली परेशानियों का प्रमुख कारण घटिया किस्म का खाना होता है जो इन्हें अपने पिता के घर और ससुराल दोनों जगह मिलता है।

लैंगिक असमानता भारत की विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिंग को प्रदर्शित करती है। यूएनडीपी के लिंग समानता सूचकांक 2014 में 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127वें स्थान पर हैं। सार्क देशों से सम्बन्धित देशों से सम्बन्धित देशों में केवल अफगानिस्तान ही इन देशों की सूची में ऊपर है।

विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2014 के अनुसार 142 देशों की सूची में भारत 114 वें स्थान पर है। ये सूचकांक चार प्रमुख क्षेत्रों की जाँच करता है–

- आर्थिक भागीदारी और अवसर।
- शैक्षिक उपलब्धियाँ।
- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा।
- राजनीतिक सशक्तिकरण।

इन सभी सूचकांकों के अन्तर्गत भारत की स्थिति इस प्रकार हैः

- आर्थिक भागीदारी और अवसर–134
- शैक्षणिक उपलब्धियाँ –126
- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा–141
- राजनीतिक सशक्तिकरण–15

ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग समानता के क्षेत्र में भारत की खेदजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। बस केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत का कार्य सराहनीय है, लेकिन अन्य सूचकाँकों में इसकी स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। और इस स्थिति में सुधार के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

लैंगिक असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होती है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिन्ता का विषय है वो निम्न है।

- कन्या भ्रूण हत्या
- कन्या बाल हत्या
- बच्चों का लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ग) : 919
- लिंग अनुपात : 943
- महिला साक्षरता : 65.46 प्रतिशत
- मातृ मृत्यु दर : प्रति 100000 जीवित जन्मों पर 178 लोगों की मृत्यु।

ये ऊपर वर्णित सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में से कुछ सूचकांक है जो देष में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या और बाल कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य है और ये बहुत शर्मनाक है कि ये सभी प्रथाएँ भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अर्थात् प्रसव–पूर्व निदान की तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994, के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्तर पर है। मैकफर्सन द्वारा किये गये एक शोध के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग 1,00,000 अवैध गर्भपात हर साल केवल इसलिए कराये जाते हैं क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का भ्रूण होता है।

इसके कारण, 2011 की जनगणना के दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति की सूचना सामने आयी कि बाल लिंग अनुपात (0 से 6 साल की आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंग अनुपात) 919 है जो पिछली जनगणना 2001 से 8 कम था। ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हुई है।

ये सभी संकेत लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रत्येक साल भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इतने कार्यक्रमों के लागू किये जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता। ये परिवर्तन तभी दिखाई देंगे जब समाज में लोगों के मन में पहले से बैठे हुये विचार और रूढ़िवादिता को बदला जायेगा, जब समाज खुद लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करेगा और लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझेगा।

निष्कर्ष

अतः हम कह सकते है कि लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है।

भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाये हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है, पुरूष उन्हें कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है, दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है।

संदर्भ-सूची :

1. मनुस्मृति, अध्याय 3, लोक 56–60
2. Hindikiduniya.com
3. http://www.hindikiduniya.com/essay/beti-bachao-beti-padhao-essay-in-hindi/
4. http://www.dw.com/hi/कब आयेगी भारत में लैंगिक समानता /a-36181277
5. http://www.hindikiduniya.com/social-issues/gender-inequality/
6. 6 http://www.hindikiduniya.com/essay/beti-bachao-beti-padhao-essay-in-hindi/
7. Education.rajasthan.gov.in
8. आहुजा, राय – ''भारतीय समाज'' जयपुर रावत पब्लिकेशन्स (2000)